निगरानी 28-PBR/15

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल

दीपक कुमार मेहरा पुत्र गुलाबदास मेहरा

निवासी ग्राम जासलपुर कोटवार, तहसील व

जिला होशंगाबाद ------- याचिकाकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर होशंगाबाद ----- उत्तरवादी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

उपरोक्त निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्र. 3-अ/19 (04) 2009-2010 मे पारित आदेश दिनांक 25.11.2014 से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन नंबर 19469/2014 निर्देशित दिनांक 15.12.2014 के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारो पर प्रस्तुत करता है :-

श्री दिवाकर श्रीवास्तव ... द्वारा आज दि. 6-1-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

दिवाकर श्रीवास्तव Adv.
6-1-15

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 28–पीबीआर/15 **जिला** होशंगाबाद

न तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–2–2015	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण कमांक 164–एक/13 में दिनांक 10–4–2014 को आदेश पारित कर प्रकरण कलेक्टर, होशंगाबाद को निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था । इस न्यायालय के आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा दिनांक 25–11–14 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15–12–14 को आदेश पारित कर म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आवेदक को राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत किए जाने का उपचार उपलब्ध होने से रिट याचिका निरस्त की गई है। आवेदक की ओर से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा दिनांक 25–11–14 को विचारण न्यायालय की हैसियत से अंतिम आदेश पारित किया गया है । संहिता की धारा 44 (1) के अंतर्गत विचारण न्यायालय कलेक्टर द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । इस प्रकार आवेदक को कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने का उपचार	

उपलब्ध होने से इस प्रकरण में गुण–दोष पर आदेश पारित किया जाना विधिसंगत नहीं है । अतः यह निगरानी इस निर्देश के साथ निरस्त की जाना विधिसंगत एवं उचित होगा कि आवेदक आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं, और आयुक्त के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत होने पर वे गुण–दोष पर अपील का निराकरण करें ।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष